<u>डिस्कलेमर</u>

आदेश संख्या 05/2022-23 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल संख्या ऐरा/20010/एमवाईटीपी/बीएसएसडीपीएल/आईटीपी/डेल्ही/सीपी-III/2021-26

आदेश संख्या 05/ 2022-23

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मैसर्स भारत स्टार्स सर्विसेज (डेल्ही) प्राइवेट लिमिटेड (बीएसएसडीपीएल) के संबंध में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (आईजीआईए), दिल्ली में इंटो प्लेन सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख: 03.06.2022

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

अध्याय 13. **प्राधिकरण के निर्णयों का सार**

बीएसएसडीपीएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण संबंधी प्राधिकरण के निर्णयों (प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत दिए गए) का सार इस प्रकार है:

अध्याय और पैरा		**प्राधिकरण के निर्णयों का सार**	**पृष्ठ संख्या**
अध्याय संख्या 2	2.6.1	प्राधिकरण बीएसएसडीपीएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए 'सिंगल टिल' आधार पर "प्राइस कैप अप्रोच" अपनाने का निर्णय लेता है।	16
अध्याय संख्या 3	3.5.1	प्राधिकरण बीएसएसडीपीएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 10 के अनुसार ईंधन थ्रूपूट की मात्रा के पूर्वानुमान को मानने का निर्णय लेता है।	22
	3.5.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि में होने वाली ईंधन की वास्तविक बिक्री के आधार पर ईंधन थ्रूपुट मात्रा को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है।	22
अध्याय संख्या 4	4.6.1	प्राधिकरण बीएसएसडीपीएल के लिए तालिका 18 के अनुसार पूंजीगत व्यय को मानने का निर्णय लेता है।	34
	4.6.2	प्राधिकरण कैपेक्स लक्ष्य पूंजीकरण की समय-सारणी के अनुसार पूर्ण न होने की स्थिति में ट्रूअप के दौरान अगली नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित एआरआर/लक्ष्य राजस्व से पूंजीकृत न किए गए कैपेक्स की 1% राशि कम करने का निर्णय लेता है।	34
	4.6.3	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पूंजीगत व्यय को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है।	34
अध्याय संख्या 5	5.6.1	प्राधिकरण तालिका 21 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास को मानने का निर्णय लेता है।	37
	5.6.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर मूल्यह्रास को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है।	37
अध्याय संख्या 6	6.5.1	प्राधिकरण तालिका 25 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी) को मानने का निर्णय लेता है।	40
	6.5.2	प्राधिकरण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है।	40
अध्याय संख्या 7	7.6.1	प्राधिकरण 14% ईक्विटी की लागत को मानने का निर्णय लेता है।	45
	7.6.2	प्राधिकरण 8% ऋण की लागत को मानने का निर्णय लेता है।	45
	7.6.3	प्राधिकरण तालिका 28 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए उचित प्रतिलाभ की दर (एफआरओआर) को मानने का निर्णय लेता है।	45
	7.6.4	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय एफआरओआर को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है।	45
अध्याय संख्या 8	8.4.1	प्रधिकरण 'अन्य आय' को शून्य मानने का निर्णय लेता है।	46
	8.4.2	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान वास्तविक आकंड़ों के आधार पर 'अन्य आय' को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है।	46

अध्याय संख्या 9	9.6.1	प्राधिकरण तालिका 41 के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को मानने का निर्णय लेता है।	59
	9.6.2	यदि बीएसएसडीपीएल के बाजार शेयर में तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान 35% तक वृद्धि नहीं होती है तो प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आकंड़ों के आधार पर प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को अधिकतम 10% की सीमा तक टूअप करने का निर्णय लेता है।	59
अध्याय संख्या 10.	10.5.1	प्राधिकरण तालिका 44 के अनुसार बीएसएसडीपीएल का एआरआर निर्धारित करने के लिए कर खर्च को मानने का निर्णय लेता है।	62
	10.5.2	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान वास्तविक कर देयता के आधार पर अगली नियंत्रण अवधि में कर खर्च को टूअप करने का निर्णय करने का लेता है।	62
अध्याय संख्या 11	11.6.1	प्राधिकरण बीएसएसडीपीएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 50 के अनुसार एआरआर को मानने का निर्णय लेता है।	67
	11.6.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर एआरआर को टूअप करने का निर्णय लेता है।	67
अध्याय संख्या 12	12.6.1	प्राधिकरण बीएसएसडीपीएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 56 के अनुसार वैमानिक राजस्व (इंटो प्लेन सेवाओं से प्राप्त राजस्व) को मानने का निर्णय लेता है।	72
	12.6.2	प्राधिकरण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि की वास्तविक संख्या के आधार पर वैमानिक राजस्व को टूअप करने का निर्णय लेता है।	73
	12.6.3	प्राधिकरण 428.39 रूपए की एआरआर की कमी की राशि को अगली नियंत्रण अवधि में अग्रेनीत करने और चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय टूअप करने का निर्णय लेता है।	73
	12.6.4	प्राधिकरण बीएसएसडीपीएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए **संलग्नक-I** के अनुसार टैरिफ दर को मानने का निर्णय लेता है।	73

अध्याय 14. आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) बीएसएसडीपीएल को तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए **संलग्नक –I** में दिए अनुसार इंटो प्लेन सेवाओं के लिए टैरिफ लगाने की अनुमति दी जाती है।

(ii) संशोधित टैरिफ **16 जून, 2022 से** लगाई जाएगी।

(iii) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरें उच्चतम दरें हैं और इनमें लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी

सेवामें,

श्री प्रशांत एम. कामथ,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
भारत स्टार्स सर्विसेज (डेल्ही) प्राइवेट लिमिटेड,
प्लॉट संख्या ए- 5 एवं 6 प्रथम तल,
बीपीसीएल बिल्डिंग, सेक्टर -1, नोएडा -201301

प्रतिलिपि,

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,नई दिल्ली – **110 003**

2. श्री के. नारायण राव, निदेशक, डेल्ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, न्यू उड़ान भवन, टर्मिनल -3 के सामने, आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110037